



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ20007

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura Industrial Area,
अजमेर -305002 (राजस्थान)
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/4380/MCDR-MiFLOLST/14/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 14.12.2023

प्रेषित: खान एजेंट, धनप्पा चूना पत्थर खान,
मेसर्स जे के व्हाइट सीमेंट वर्क्स,
पोस्ट ऑफिस -गोटन, तहसील-मेड़ता सिटी,
जिला- नागौर (राजस्थान) 342 902
Email: gotan@jkcement.com, deepak.kalla@jkcement.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Dhanappa Limestone Mine** (Lease area 400.0 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 03.11.2023 by the undersigned in presence of Sh. Deepak kalla, Mines Agent & HOD(Mines):

Rule No.	Nature of violation observed in detail
45(7)	In annual return 2022-23 following discrepancies were observed: 1) Under item 1(Exploration) of Part-V, the figures of exploratory drilling & expenditure on exploration at the beginning of the year, during the year & cumulative figures have not been reported. 2) Under item 4 of Part-V, entire quantity of OB generated during the year (94076 cubic meter) has been shown under Backfilled during the year, hence total at the end of year should be matched with total at the beginning of the year. 3) Under item 5 (Trees Planted- survival rate) of Part-V, total nos. of trees at the end of year within lease area are not matching with details given in PMCP excel sheet uploaded with annual return.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं अथवा आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियमावली, 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से से 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताए कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए पैरा 02 एवं पैरा 03 में वर्णित कार्यवाही क्यों न की जाए।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, गोटन, जिला - नागौर।
4. रक्षित पत्रावली।